

The 780th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 27st March, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. Case No. P2/707/2024 Shri Harishankar Shukla, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Khamdad Sand Quarry in an area of 12.177 ha. (2,19,186 cum per year) (Khasra No. 197, 203 & 187) Village – Khamdad, Tehsil – Beohari, District –Shahdol(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 197, 203 व क्षेत्रफल – 187 (शासकीय भूमी नदी) 12.177 हे.
स्थल	ग्राम – खामडाड़, तहसील –ब्यौहारी, जिला – शहडोल (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम खामडाड़ रेत खदान, दिनांक – 19/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा खामडाड़ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,19,186 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,19,186 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2599 दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2599 दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2599 दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/ नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का

	रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खामडाड जिला शहडोल के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	समधिन नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक - 30 एवं पेज नं.-63 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04/07/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 15 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं एवं खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

2. Case No. P2/695/2024 Shri Harishankar Shukla, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Barachh – 2 Sand Quarry in an area of 8.00 ha. (1,44,000 cum per year) (Khasra No. 2126/1, 2490, 2491) Village – Barachh, Tehsil – Jaisinghnagar, District –Shahdol(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 2126/1, क्षेत्रफल – 2490, 2491 (शासकीय भूमी नदी) 8.00 हे.
स्थल	ग्राम – बराछ, तहसील –जयसिंहनगर, जिला – शहडोल (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बराछ –2 रेत खदान, दिनांक – 15/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बराछ – 2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया

	है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,44,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,44,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2595 शहडोल, दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 08.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2595 शहडोल दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2595 शहडोल दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन पील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/ नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बराछ जिला शहडोल के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	झापर नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22 / 01 / 2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-19 एवं पेज नं.-62 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 04 / 07 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 02 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं एवं खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

3. Case No. P2/690/2024 Shri Harishankar Shukla, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Masira Sand Quarry in an area of 20.00 ha. (3,60,000 cum per year) (Khasra No. 39/534) Village – Masira, Tehsil – Jaisinghnagar, District – Shahdol(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 39/534 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम – मसीरा, तहसील – जयसिंहनगर, जिला – शहडोल (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मसीरा रेत खदान, दिनांक – 15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मसीरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2600 शहडोल, दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 20.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2600 शहडोल, दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2600 शहडोल, दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/ नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मसीरा जिला शहडोल के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	सोन नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-05 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई।

	आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 15 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं एवं खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र दो भागों में है एवं बीच में एक रोड ब्रिज स्थित है पश्चिम भाग से ब्रिज की दूरी लगभग 460 मी. है एवं पूर्वी भाग से ब्रिज की दूरी लगभग 200 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने पर लीज क्षेत्र का पूर्वी लीज क्षेत्र खनन योग्य शेष नहीं बचता है एवं पश्चिमी भाग में लगभग 2.43 हे. खनन हेतु उपलब्ध होता है।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध खनन क्षेत्र से नहीं हो सकती है। संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेप्थ अनुसार रेत की वांछित मात्रा उपलब्ध हो सकती है, अतः उनके द्वारा इस संबंध में उपलब्ध रेत का विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
2. **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2016/2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने के पश्चात् पश्चिमी लीज क्षेत्र में उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेप्थ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
3. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अर्न्तगत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

4. Case No. P2/664/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Joshipur Sand Quarry in an area of 20.242 ha (3,64,356 cum per year) (Khasra No.149/1) Village – Joshipur, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 149/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.242 हे.
स्थल	ग्राम – जोशीपुर, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जोशीपुर रेत खदान, दिनांक-24/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जोशीपुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,64,356 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना	

	अनुसार रेत — 3,64,356 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 482/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 34.774 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 55.016 हे. है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 482/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 482/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम जोशीपुर पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 23/01/2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-133 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 04 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. रेत के परिवहन का निकासी मार्ग खेतों में से निकल रहा है अतः निकासी मार्ग के लिये वैकल्पिक मार्ग गूगल मेप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

5. Case No. P2/677/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ambajdid-2 Sand Quarry in an area of 23.341 ha (4,20,138 cum per year) (Khasra No.223) Village – Ambajdid, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 223 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 23.341 हे.
स्थल	ग्राम – अंबाजदीद, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अंबाजदीद-2 रेत खदान, दिनांक-18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अंबाजदीद-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 4,20,138 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,20,138 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 452/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 64.752 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 88.093 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 452/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 452/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-03 एवं

	पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. रेत के परिवहन का निकासी मार्ग खेतों में से निकल रहा है अतः निकासी मार्ग के लिये वैकल्पिक मार्ग गूगल मैप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

6. Case No. P2/658/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Somalwada Sand Quarry in an area of 12.950 ha (2,33,100 cum per year) (Khasra No.104/2) Village – Somalwada, Tehsil – Budhni, District –Sehore (M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 104/2 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 12.950 हे.
स्थल	ग्राम – सोमलवाड़ा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सोमलवाड़ा रेत खदान, दिनांक-14/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सोमलवाड़ा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत –	2,33,100

	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 2,33,100 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 436/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.950 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 436/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 436/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नोनभेट के अंतर्गत ग्राम सोमलवाड़ा जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/04/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-11 एवं

	पेज नं.-134 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 09/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 05 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

7. Case No. P2/667/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Janwasa-1 Sand Quarry in an area of 14.00 ha (2,52,000 cum per year) (Khasra No.154) Village – Janwasa, Tehsil – Budhni, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 154 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 14.00 हे.
स्थल	ग्राम – जनवासा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जनवासा-1 रेत खदान, दिनांक-21/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जनवासा-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है,	

	जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,52,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,52,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 458/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 45.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 59.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 458/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 458/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत वोरना जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 24/03/2015के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-136 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05 / 07 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 04 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
2. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
3. रेत के परिवहन का निकासी मार्ग खेतों में से निकल रहा है अतः निकासी मार्ग के लिये वैकल्पिक मार्ग गूगल मैप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

8. Case No. P2/673/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Badgaon-2 Sand Quarry in an area of 21.733 ha (3,91,194 cum per year) (Khasra No. 165,1) Village – Badgaon, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 165,1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 21.733 हे.
स्थल	ग्राम – बडगांव, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बडगांव-2 रेत खदान, दिनांक-12/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बडगांव-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है,	

	जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 3,91,194 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत — 3,91,194 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 438/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 16.032 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 37.765 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 438/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 438/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीयनिकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अम्बाजदीद के अंतर्गत ग्राम बडगांव जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-08 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 07 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

9. Case No. P2/688/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Baghwada-1 Sand Quarry in an area of 18.107 ha (3,25,926 cum per year) (Khasra No.352/340) Village – Baghwada, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं. – 352/340 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 18.107 हे.
स्थल	ग्राम – बघवाड़ा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बघवाड़ा-1 रेत खदान, दिनांक-16/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बघवाड़ा-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,25,926 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 3,25,926 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 480/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 36.909 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 55.016 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 480/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 480/खनिज/2024, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियास्टेशन/ दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-04 एवं पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
- खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।
- सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

10. Case No. P2/666/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Janwasa-2 Sand Quarry in an area of 20.00 ha (3,60,000 cum per year) (Khasra No.154/1/1) Village – Janwasa, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 154/1/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम – जनवासा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जनवासा-2 रेत खदान, दिनांक-19/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जनवासा-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 460/खनिज/2023 सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 39.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 59.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 460/खनिज/2023 सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 460/खनिज/2023 सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे—रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत वोरना तहसील बुदनी जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 24/03/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-08 एवं

	पेज नं.-136 के सरल क्रमांक-21 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 01 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

11. Case No. P2/659/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ninor Sand Quarry in an area of 20.00 ha (3,60,000 cum per year) (Khasra No.649) Village – Ninor, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 649 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम –नीनोर, तहसील –रेहटी, जिला – सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नीनोर रेत खदान, दिनांक-15/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नीनोर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 470/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 20.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 470/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 470/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नीनोर जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकतम भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-09 एवं पेज नं.-128 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 11/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
- खदान का अधिकतम भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुयेपुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

12. Case No. P2/669/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Babri-1 Sand Quarry in an area of 4.00 ha (72,000 cum per year) (Khasra No.363/1) Village – Babri, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 363/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – बाबरी, तहसील –रेहटी, जिला – सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बाबरी-1 रेत खदान, दिनांक-19/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बाबरी-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 32.640 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 36.640 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियास्टेशन/ दूरदर्शन/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाबरी जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का कुछ भाग नदी में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-01 एवं पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 01 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

13. Case No. P2/670/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Jahajpura-2 Sand Quarry in an area of 23.00 ha (4,14,000 cum per year) (Khasra No. 300) Village – Jahajpura, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 300 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 23.00 हे.
स्थल	ग्राम –जहाजपुरा, तहसील–रेहटी, जिला –सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जहाजपुरा-2 रेत खदान, दिनांक-19/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जहाजपुरा-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,14,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,14,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 466/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 38.801 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 61.801 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 466/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 466/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट /शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियास्टेशन/ दूरदर्शन/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जहाजपुरा जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-133 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 01 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. रेत के परिवहन का निकासी मार्ग आबादी में से निकल रहा है अतः निकासी मार्ग के लिये वैकल्पिक मार्ग गूगल मेप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

14. Case No. P2/672/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Dimawar Sand Quarry in an area of 23.170 ha (4,17,060 cum per year) (Khasra No. 508/505 & 509/506) Village – Dimawar, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 508/505 व क्षेत्रफल – 509/506 23.170 हे. (शासकीय भूमी नदी)
स्थल	ग्राम – डिमावर, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर(म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम डिमावर, रेत खदान, दिनांक-04/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा डिमावर, रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,17,060 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,17,060 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 64.923 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 88.093 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 448/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डिमावर जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-01 एवं पेज नं.-133 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 08 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

15. Case No. P2/681/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Janwasa-3 Sand Quarry in an area of 10.00 ha (1,80,000 cum per year) (Khasra No.154/1/1) Village – Janwasa, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 154/1/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – जनवासा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जनवासा-3 रेत खदान, दिनांक-21/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जनवासा-3 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 613/खनिज/2024 सिहोर दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 49.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 59.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 613/खनिज/2024 सिहोर दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 613/खनिज/2024 सिहोर दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं। मानव बसाहट एवं शैक्षणिक संस्था लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 13/1/2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-09 एवं

	पेज नं.-136 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें। खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

16. Case No. P2/657/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Shahganj Sand Quarry in an area of 7.00 ha (1,26,000 cum per year) (Khasra No.896/1) Village – Shahganj, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 896/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.00 हे.
स्थल	ग्राम – शाहगंज, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम शाहगंज रेत खदान, दिनांक-11/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा शाहगंज रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत — 1,26,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत — 1,26,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 484/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 484/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 484/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-134 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 09/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 04 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

17. Case No. P2/676/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ambajdid-3 Sand Quarry in an area of 20.00 ha (3,60,000 cum per year) (Khasra No.223) Village – Ambajdid, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 223 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम – अंबाजदीद, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अंबाजदीद-3 रेत खदान, दिनांक-08/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अंबाजदीद-3 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,60,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 454/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 68.093 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 88.093 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 454/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 454/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-04 एवं

	पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-03 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

18. Case No. P2/665/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Janwasa-4 Sand Quarry in an area of 15.00 ha (2,70,000 cum per year) (Khasra No.154/1/1) Village – Janwasa, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 154/1/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – जनवासा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जनवासा-4 रेत खदान, दिनांक-21/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जनवासा-4 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,70,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,70,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 615/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 44.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 59.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 615/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 615/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं। मानव बसाहट एवं शैक्षणिक संस्था लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.-136 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 06 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

19. Case No. P2/691/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ambajdid-1 Sand Quarry in an area of 21.582 ha (3,88,476 cum per year) (Khasra No.224) Village – Ambajdid, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 224 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 21.582 हे.
स्थल	ग्राम – अंबाजदीद, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अंबाजदीद-1 रेत खदान, दिनांक-18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अंबाजदीद-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 3,88,476 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,88,476 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 450/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 46.511 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 68.093 हे. है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 450/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 450/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा अम्बाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-02 एवं

	पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-01पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 04 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

20. Case No. P2/662/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Nilkanth Sand Quarry in an area of 16.10 ha (2,89,800 cum per year) (Khasra No.79) Village – Nilkanth, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 79 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.10 हे.
स्थल	ग्राम – नीलकण्ठ, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नीलकण्ठ रेत खदान, दिनांक-14/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नीलकण्ठ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके	

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,89,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,89,800 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 617/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 5.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.10 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 617/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 617/खनिज/2024 दिनांक 01/02/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियोस्टेशन/दूरदर्शन/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीयनिकाय/ अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉपडैम/ ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं । 500 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-09 एवं पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 09 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. रेत खदान क्षेत्र में एक अन्य नदी (कोलार)मिलने के कारण 50 मी. का गैर खनन क्षेत्र दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

21. Case No. P2/674/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Badgaon-1 Sand Quarry in an area of 16.032 ha (2,88,576 cum per year) (Khasra No. 178) Village – Badgaon, Tehsil – Nasrullaganj, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 178 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.032 हे.
स्थल	ग्राम – बडगांव, तहसील – नसरुल्लागंज, जिला – सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बडगांव-1 रेत खदान, दिनांक-12/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बडगांव-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके	

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,88,576 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,88,576 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 440/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 21.733 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 37.765 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 440/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 440/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अम्बाजदीद के अंतर्गत ग्राम बडगांव जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-07 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

22. Case No. P2/668/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Jajna Sand Quarry in an area of 12.140 ha (2,18,520 cum per year) (Khasra No.245) Village – Jajna, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 245 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 12.140 हे.
स्थल	ग्राम –जजना, तहसील –रेहटी, जिला – सिहोर(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जजना रेत खदान, दिनांक-21/01/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जजना रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,18,520 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 2,18,520 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 442/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 24.50 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 36.64 हे. हैं। अतः प्रकरणबी-1श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 442/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 442/खनिज/2023 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मट्ठागांव के अंतर्गत ग्राम जजना जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबाहुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-03 एवं पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 11/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

23. Case No. P2/671/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Jahajpura-1 Sand Quarry in an area of 15.801 ha (2,84,418 cum per year) (Khasra No. 241) Village – Jahajpura, Tehsil – Rehti, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 241 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 15.801 हे.
स्थल	ग्राम –जहाजपुरा, तहसील–रेहटी, जिला –सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जहाजपुरा-1 रेत खदान, दिनांक –19/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जहाजपुरा-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 2,84,418 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,84,418 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 464 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 28.146 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 43.947 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 464 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 464 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडिया स्टेशन/ दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जहाजपुरा जिला सीहोर के अनापत्ती पत्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-133 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है ।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
3. परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

24. Case No. P2/661/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Nahlai Sand Quarry in an area of 8.093 ha (1,45,674 cum per year) (Khasra No.120) Village – Nahlai, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 120 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 8.093 हे.
स्थल	ग्राम –नेहलाई, तहसील –रेहटी, जिला – सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नेहलाई रेत खदान, दिनांक-15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नेहलाई रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,45,674 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,45,674 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 8.093 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन पील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नेहलाई जिला सीहोर के अनापत्ती पत्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक-04 एवं पेज नं.-128 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 11/07/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 01 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

25. Case No. P2/684/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Charua Sand Quarry in an area of 5.140 ha (73,200 cum per year) (Khasra No.146) Village – Charua, Tehsil – Rehti, District –Sehore (M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 146 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 5.140 हे.
स्थल	ग्राम – चारुआ, तहसील – रेहटी, जिला – सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम चारुआ रेत खदान, दिनांक-04/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा चारुआ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 73,200 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 73,200 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 61.801 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 66.941 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 486 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/ दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/ अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाबरी जिला सीहोर के अनापत्ती पत्र के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-133 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई।

	आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. परिवहन मार्ग पर पौधारोपण प्रस्तावित करते हुये संशोधित पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

26. Case No. P2/675/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Babri-2 Sand Quarry in an area of 20.50 ha (3,69,000 cum per year) (Khasra No.363/1) Village – Babri, Tehsil – Rehti, District –Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 363/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.50 हे.
स्थल	ग्राम – बाबरी, तहसील – रेहटी, जिला – सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बाबरी-2 रेत खदान, दिनांक – 08/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बाबरी-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,69,000 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 3,69,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 16.140 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 36.640 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 446 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाबरी जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-126 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई।

	आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 23 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें ।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

27. Case No. P2/686/2024 Shri Harishankar Shukla, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Pasaudh Sand Quarry in an area of 43.303 ha. (7,79,454 cum per year) (Khasra No. 455/472, 291/471 & 7/470) Village – Pasaudh, Tehsil – Jaisinghnagar, District –Shahdol(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 455/472, क्षेत्रफल – 291/471 व 7/470 43.303 हे. (शासकीय भूमी नदी)
स्थल	ग्राम – पसौढ़, तहसील – जयसिंहनगर, जिला – शहडोल (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पसौढ़ रेत खदान, दिनांक– 15/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पसौढ़ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष

	प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 7,79,454 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 7,79,454 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2594, शहडोल दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 43.303 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2594, शहडोल दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 19/खनिज/2020/2594, शहडोल दिनांक 14/09/2020 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पसौढ़ जिला शहडोल के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	सोन नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-06 के सरल क्रमांक-09 एवं

	पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 13 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं एवं खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

28. Case No. P2/685/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Baghwada-2 Sand Quarry in an area of 16.667 ha (3,00,006 cum per year) (Khasra No.352/340) Village – Baghwada, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 352/340 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.667 हे.
स्थल	ग्राम – बघवाड़ा, तहसील – बुधनी, जिला – सिहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नये कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बघवाड़ा-2 रेत खदान, दिनांक-15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बघवाड़ा-2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,00,006 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,00,006 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 476/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 38.349 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 55.016 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 476/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 476/खनिज/2023, सिहोर दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियोस्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अंबाजदीद जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 13/01/2024 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-03 एवं पेज नं.-127 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 05/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें ।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

29. Case No. P2/660/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Sardarnagar Sand Quarry in an area of 16.187 ha (2,91,366 cum per year) (Khasra No.893/852, 852) Village – Sardarnagar, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक, (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 893/852, 852 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 16.187 हे.
स्थल	ग्राम – सरदारनगर, तहसील – बुधनी, जिला – सीहोर (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सरदारनगर रेत खदान, दिनांक-18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सरदारनगर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 2,91,366 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,91,366 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 474 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.187 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 474 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 474 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सरदारनगर जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/04/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-128 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 09/07/2024, को संपन्न हुई ।

	आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 05 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

30. Case No. P2/663/2024 Shri Arjun Shrivastava, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Mahukala Sand Quarry in an area of 20.995 ha (3,77,910 cum per year) (Khasra No.263/212) Village – Mahukala, Tehsil – Budhni, District – Sehore(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 263/212 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 20.995 हे.
स्थल	ग्राम – महुकला, तहसील –बुधनी, जिला – सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम महुकला रेत खदान, दिनांक-04/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा महुकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,77,910 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,77,910 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 20.995 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र	

	स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 25/01/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महुकला जिला सिहोर के अनापत्ती पत्र 07 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/01/2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-01 एवं पेज नं.-128 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 09/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त 08 कोर्डिनेट्स जोड़े गये हैं तथा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी औसत वर्षा के आधार पर तैयार की गई है, इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से अतिरिक्त जोड़े गये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
3. खदान का कुछ भाग नदी क्षेत्र में डूबा होने की वजह से गैरखनन क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत की उपलब्ध मात्रा को दर्शाते हुये पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :-

वर्तमान में परिवेश-2.0 पोर्टल में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के परियोजनाओं के प्राप्त आवेदनों का सेक स्तर पर प्रक्रिया शुल्क संबंधी फीस की ऑनलाईन जमा शुल्क संबंधी दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण को स्वीकार कर, प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण कर अपनी अनुशंसा को प्रेषित करता है, अतः सेक स्तर पर शुल्क का मिलान करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति की अनुशंसा है, कि सिया द्वारा शुल्क का परीक्षण कर रिकार्ड संधारण/पुष्टि का कार्य पूर्ववत् ही किया जावे तथा शुल्क का समाधान होने पर ही ई.सी. के संबंध में निर्णय लिया जावे।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया , के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।